

2/24/2022

तारीख रजू

हुकम
री हुए

कमलेश बनाम कैला वगैरा

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीण को जैय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 2746, 2358, 2745, वाके ग्राम सौखरी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीण को नोटिस हों कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 30.09.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.09.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

30/9/22

उपस्थित
आदेश दिनांक 25/9/22
को पालना में पत्र की वास्ते हस्ताक्षर दिनांक 1/10/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/7/23	<p>पत्रावली पे न डूई वकील प्रायोजक पत्रावली पर मूल कांड डिडी हो गंगा हो करा TE चाखने जाने का कोई अधिप नही हो कर। प्रायोजक का प्रायोजक - प्र 22/2/23 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में मूल हुक्म हो मर मूल कांड के साथ-साथ-साथ (निम्न)</p> <p style="text-align: right;">31/7/23</p>	